

# न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 18/2024

श्री कल्ला पुत्र श्री देबी जाति रेबारी, निवासी ग्राम करनोस, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

- 1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीसांगन
- 2- ग्राम पंचायत करनोस, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर जरिये सरपंच

.....रेस्पोंडेन्ट्स

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व  
अधिनियम 1956

उपस्थित :-

1. श्री लक्ष्मण कंवरिया, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील

:- आदेश :-

दिनांक-30.05.2025

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांक प.9(6)राज.-6/2000/पार्ट/139 दिनांक 29.11.2019 व जिला कलक्टर, अजमेर के पत्रांक कअ/राजस्व/2019/10655-82 दिनांक 10.12.2019 की अनुपालना में ग्राम करनोस, तहसील पीसांगन स्थित जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में दर्ज आराजी खसरा संख्या रकबा 0.34 हैक्टर किस्म गै0मु0 आबादी व आराजी खसरा संख्या 988/1237 रकबा 0.51 हैक्टर किस्म गै0मु0 आबादी कुल किता 2 कुल रकबा 0.85 हैक्टर भूमि का कब्जा ग्राम पंचायत करनोस को सुपुर्द कर राजस्व रेकॉर्ड में आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के अधीन किये जाने हेतु जरिये नामान्तरकरण अमल दरामद करने का तहसीलदार पीसांगन द्वारा क्रमांक 91 दिनांक 04.05.2020 से आदेश पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.05.2020 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की



अपर कलक्टर  
अजमेर

बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्त ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी खसरा संख्या 864 रकबा 0.34 किस्म गैर मुमकिन आबादी बाबत प्रकरण संख्या 22/2016 दर्ज कर रकबा 0.08 व 0.24 हैक्टर भूमि एवं प्रकरण संख्या 224/2016 दर्ज कर रकबा 0.16 व 0.12 हैक्टर भूमि पर कब्जा होने के कारण अपीलान्त के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर नोटिस जारी किये गये। अपीलान्त ने समय-समय पर लगान अदा कर लगान की रसीदें भी प्राप्त की हैं। इस प्रकार अपीलान्त का प्रश्नगत आराजी पर प्रारम्भ से ही कब्जा काशत रहा है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजी का हस्तांतरण/नियमन अपीलान्त के पक्ष में ही किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था किन्तु इस तथ्य को नजर अंदाज कर गैर कानूनी तौर पर आक्षेपीय आदेश पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 को विवादित आराजी का हस्तान्तरण अपने में नीहित क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर गैर कानूनी आदेश पारित किया गया है। उन्होंने आगे कथन किया कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी भूमि को आवंटन/नियमन करने से पूर्व भूमि पर कब्जा काशत की रिपोर्ट प्राप्त कर ही भूमि का अन्तरण किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध दो बार धारा 91 की कार्यवाही की गई है, जिससे सिद्ध होता है कि प्रश्नगत आराजियात पर अपीलान्त डी काबिज काशत है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के मात्र राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर ही भूमि का हस्तान्तरण गैर कानूनी रूप से रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 को करने में महत्वपूर्ण विधिक त्रुटि कारित की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय को इस प्रकार का आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं था। विवादित आराजी का हस्तान्तरण रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 (ग्राम पंचायत) के पक्ष में होने के कारण वह राजनैतिक द्वेषतावश अपीलान्त को भूमि से बेदखल कर अपने करीबी एवं निजी व्यक्तियों को उक्त भूमि के पट्टे जारी करने पर आमामादा है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश विवादित आराजी खसरा संख्या 864 रकबा 0.34 हैक्टर की हद तक निरस्त करते हुए उक्त आराजी का आवंटन/नियमन अपीलान्त के पक्ष में किया जावे एवं विकल्प में अपीलान्त के पक्ष में पट्टे जारी किये जाने हेतु रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 (ग्राम पंचायत) को निर्देश प्रदान किये जावे।

विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 864 रकबा 0.34 हैक्टर ग्राम करनोस की जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में गैर मुमकिन आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांक प.9(6)राज.-6/2000/पार्ट/139 दिनांक 29.11.2019 व जिला कलक्टर, अजमेर के पत्रांक कअ/राजस्व/2019/10655-82 दिनांक 10.12.2019 की अनुपालना में आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के अधीन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलान्त द्वारा अनाधिकृत रूप से विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलान्त को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये हैं, जो न्यायोचित है। इस तथ्य को अपीलान्त ने स्वयं स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलान्त निरस्त की जावे।



अपर कलक्टर  
अजमेर

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी ग्राम करनोस की जमाबन्दी के खाता संख्या 1 में गैर मुमकिन आबादी भूमि के रूप में दर्ज है। यह भी स्पष्ट है कि शासन उप सचिव, राजस्व (ग्रुप-6) विभाग, राज0 जयपुर के पत्रांक प.9(6)राज.-6/2000/पार्ट/139 दिनांक 29.11.2019 व जिला कलक्टर, अजमेर के पत्रांक कअ/राजस्व/2019/10655-82 दिनांक 10.12.2019 की अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी को आबादी प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत के अधीन किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। अपीलांत द्वारा अनाधिकृत रूप से विवादित आराजी पर अतिक्रमण किया गया है। फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है। उसमें हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.05.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(हज्योति कक्वाणी)  
अपर कलक्टर अजमेर